


सेवा में,
गृह मन्त्रालय, भारत सरकार.
नई दिल्ली



Ref:- प्रार्थना पत्र RTI के अन्तर्गत

महोदय

कृपया प्रार्थना को अवगत कराये कि भारत सरकार (केन्द्रिय वित्त मन्त्रालय नई दिल्ली) द्वारा उत्तराखण्ड नारादी में मृत्यु व्यक्तियों के सम्बन्ध में घोषित की गयी सुविधाये व मुआवजा आदि के सम्बन्ध में पारित अध्यादेश के अन्तर्गत सूचित किये जाने की कृपा की जावे।

प्रार्थी -

चक्रपाणि अवस्थी

S/O श्री प्रेमशंकर अवस्थी

बुधमोडा नगर बुधजा कालोनी

घाटमपुर कानपुर नगर,

PIN- 209206


Mo- 07827661656

08288027551

State Govt
DM Division

7474/RTI/03
13/12/13

~~अवस्थी~~



संख्या 40-14/2013/एनडीएम-(भाग)
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
आपदा प्रबंधन प्रभाग-

'बी' विंग, तीसरी मंजिल, एनडीसीसी-॥ भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-11 001
दिनांक : 31 दिसंबर, 2013

सेवा में,

श्री चक्रपाणि अवस्थी
पुत्र श्री प्रेमशंकर अवस्थी
कुष्मान्डा नगर कृष्णा कालोनी
घाटमपुर, कानपुर-209 206

- 1 JAN 2014

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 09.12.13 के पत्र संख्या ए-43020/01/2013-आरटीई का अवलोकन करें । उक्त पत्र की प्रति इस अनुभाग को अंतरित करते हुए संबंधी सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है । संदर्भित पत्र दिनांक 27.12.2013 को इस अनुभाग में प्राप्त हुआ है ।

2. अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करना है कि मांगी गई सूचना इस प्रभाग से संबंधित नहीं है। इसका संबंध उत्तराखंड सरकार से है । अतः आवेदन पत्र को उत्तराखंड सरकार को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत हस्तांतरित किया जा रहा है । आप उत्तराखंड सरकार से सूचना सीधे प्राप्त कर सकते हैं ।

3. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत अपील अधिकारी श्री आर. के श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, 'बी' विंग, तीसरा तल, एनडीसीसी-॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110 001 हैं ।

भवदीय,

गौतम घोष

(गौतम घोष)

उप सचिव एवं के.ज.सू.अ.

फोन नं. 2343 8123

प्रतिलिपि संलग्नों सहित निम्नलिखित को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित :

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार, 4 सुभाष रोड, देहरादून-248 001 | उक्त आवेदक के आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा रहा है | अतः आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दें |

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री वी. के. राजन, उप सचिव (ई) एवं के.ज.सू.अ., गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित |

..

Issued on
P.S. No 1/13